राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5733

दिनांकः 16.08.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 23316–17 दिनांक 26.07.18 से पुलिस थाना भालता के अभियोग सं0 104 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चैन सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति तंवर उम्र 28 साल निवासी मोईकंला थाना भालता जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2018 को श्री महेन्द्र कुमार थानाधिकारी थाना भालता मय जाप्ता के अवैध कार्यो की चेंकिग व धरपकड हेतु सरडा जोड पहुंचे कि जर्ये मुखबिर इत्तला मिली कि एक व्यक्ति सरडा घाटी पर खडा है, जिसके पास अवैध देशी रिवाल्वर है, मुखबिर इत्तला विश्वसनीय होने से जाप्ते को अवगत कराकर सांकेतिक स्थान सरडा घाटी पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा। जिसको जाप्ते की इमदाद से पकडा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चैन सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति तंवर उम्र 28 साल निवासी मोईकंला थाना भालता जिला झालावाड का होना बताया। जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसके पास से एक देशी रिवाल्वर मिली। जिसमे एक कारतूस लोड किया हुआ मिला। इस पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 104 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर व कारतूस का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि देशी रिवाल्वर 7.65 एमएम लोकल मेटल लोहे का बना हुआ है। इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है। उक्त रिवाल्वर फायर करने योग्य है, जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। एक कारतूस 7.65 एमएम जो पीतल का बना हुआ है कारतूस की केप पर केटी 7.65 अंकित है। उक्त कारतूस जिंदा अवस्था मे है, जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेशचंद एएसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी रिवाल्वर व कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त चैन सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति तंवर उम्र 28 साल निवासी मोईकंला थाना भालता जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड